3111

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.2436 ha of forest land in favour of M/s Churah Valley Alternative Agro Horticulture & Development Co-operative Society Ltd., Bhanjraru Village & P.O. Bhanjraru Tehsil Churah, District Chamba for the construction of 05 MW Chaini Tepa Small HEP in District Chamba, within the jurisdiction of Churah Forest Division, District Chamba, H.P. (Online No. FP/HP/HYD/13665/2015).

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी../01/55/2018/1491 दिनांक 09.10.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.2436 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Shikrani Teppa DPF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 4.50 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा 1 है0 MDF के साक्षेप 1000 वृक्षों का रोपण भी Shikrani Teppa DPF क्षेत्र में किया जायेगा।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

प्राप्ती सं 5181
दिनांक 15/3/21

S/FCA
APCCF(FCA) 12/3
PCCF(HoFF) 10/3/21

7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा।

9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 54 trees से अधिक न हो।

11. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

12. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

13. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department . Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan.

14. State Forest department shall ensure that the user agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.

15. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with serial number, DGPS coordinates forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc.

16. The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

17. The User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Forest Department and the concerned Regional Office of MoEF, Govt. of India.

18. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

19. Lease Deed shall be executed by the User Agency with the Collector-cum-Deputy Commissioner, Chamba, Himachal Pradesh.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Churah Forest Division, District Chamba, H.P.
7. M/s Churah Valley Alternative Agro Horticulture & Development Co-operative Society Ltd., Bhanjraru Village & P.O. Bhanjraru Tehsil Churah, District Chamba, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 36.4344 ha of forest land in favour of HPPTCL for the construction of 66 KV transmission line from 66/22 KV GIS Sub Station Bagipul to 220 KV Sub Station Kotla, within the jurisdiction of Ani & Rampur Forest Divisions, District Shimla & Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./04/40/2018/एफ.सी./495 दिनांक 30.05.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **36.4344** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Ani Division (UPF Kashmal-5 ha, UPF Uthkhane-5 ha, UPF Olwa-30 ha, UPF Bashla-08 ha) Rampur Division (UF Shangri Kofta-15 ha, UF- Phachait-10 ha) में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 73.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
4. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
5. During construction of transmission line, pollarding /pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local Forest officer.
6. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the

extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will, however, require prior approval under the Act.

7. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum 3.4 m clearance between conductor and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out this minimum clearance.

8. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

10. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

13. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

14. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plant में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

15. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 242 trees & 29 saplings in Ani Forest Division and 128 trees in Rampur Forest Divison से अधिक न हो।

16. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी. स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जाएगा।

17. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

20. Lease Deed shall be executed by the user agency with the Collector-cum-Deputy Commissioner, Shimla & Kullu, Himachal Pradesh.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Managing Director, HPPTCL, Shimla, H.P.
6. The Deputy Commissioner, Shimla/Kullu, District Shimla/Kullu, H.P.
7. Divisional Forest Officer, Ani/Rampur Forest Division, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621871

❖❖❖❖❖

36785

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.6327 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kot Kadyara Madyana NH-70 Sai road (Kms 0/00 to 4/600), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./06/70/2018/एफ.सी./1547 दिनांक 11.10.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.6327** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Survey Sheet No. 53 E/2/NW, Thatta UF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 5.26 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 2.56 है0 Survey Sheet No. 53 E/2/NW, Nagdhar DPF वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
4. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
5. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

डायरी सं. 5786
दिनांक 15/3/21

S/FCA

APCCF(FCA) 12/3

PCCF(HOFF) 10/3/21

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–देख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।

10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plant में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

11. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 196 trees and 216 saplings से अधिक न हो।

12. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी. सी. स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जाएगा।

14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

16. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 06 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Mandi Forest Division, District Mandi, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Mandi, District Mandi, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621871

❖❖❖❖❖